भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 322

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

"सारथी 1.0"

322. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जागरूकता बढ़ाने और समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सारथी 1.0 पहल शुरू की है;

(ख) क्या सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण हां के साथ सहयोग किया है और यदि (एनएएलएसए), तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पहल के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सारथी 1.0 पहल सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के अनुरूप है और यदि हां, तो किन-किन लक्ष्यों पर ध्यान दिया जा रहा है; और

(ड.) क्या कानूनी साक्षरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से जमीनी स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने की कोई योजना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ड.): सारथी 1.0 अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), भारत की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों तथा कानूनी सहायता के माध्यम से अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), सफाई कर्मचारियों, कचरा बीनने वालों, मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों और भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों सहित समाज के लाभवंचित और कमजोर

व्यक्तियों को सशक्त बनाना है ताकि वे सामाजिक कल्याण से जुड़े विधानों और अन्य कानूनों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और अधिकारों तथा सरकार के प्रशासनिक कार्यक्रमों का लाभ ले सकें। इस पहल के द्वारा इन समूहों के बीच उनके कानूनी अधिकारों, कल्याणकारी अधिकारों और सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

इस पहल को समाज के कमजोर, लाभवंचित और दुर्बल वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रभावी संतुलन के लिए 'जागरूकता' और 'सहायता' के माध्यम से व्यक्तियों को 'सशक्त' करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अभियान के तहत की गई गतिविधियाँ सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं और नीतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेंगी, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी में व्यक्तियों को लाभ और हक प्राप्त करने तथा अच्छी प्रथाओं का आदान-प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

इस अभियान का उद्देश्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए निरंतर विकास के 2030 के एजेंडा को आगे बढ़ाना है। विशेष रूप से यह लक्ष्य 01 को आगे बढ़ाना चाहता है जो सभी देशों में हर जगह गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने का आह्वान करता है, और विशेष रूप से लक्ष्य 1.3 को आगे बढ़ाना चाहता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और उपायों को लागू करना है। यह लक्ष्य 10 को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करता है जो देशों को अपने देश के भीतर और अन्य देशों में असमानता को कम करने का आह्वान करता है, और विशेष रूप से लक्ष्य 10.4 जो नीतियों, विशेष रूप से राजकोषीय, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को अपनाने और उत्तरोत्तर अधिक समानता प्राप्त करने का आह्वान करता है।

राज्यों, जिलों और तालुकों में नालसा का मौजूदा राष्ट्रव्यापी नेटवर्क समाज के लाभवंचित और कमजोर वर्गों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविरों और सेमिनारों के आयोजन की सुविधा प्रदान करेगा।

*****